

# बीमार महिला को खाट पर लिटाकर उफनता खाल पार करवाया

राजस्थान व सीमावर्ती मध्यप्रदेश में कई दिन से बारिश होने पर आवागमन बाधित हो रहा है

छबड़ा, (निसं)। राजस्थान व सीमावर्ती मध्यप्रदेश में पिछले दिनों से हो रही बारिश के कारण नदी, नालो आदि में पानी की भारी आवक हो गई है, जिससे कई गांवों का आवागमन अवरूद्ध होने लगा है। सोमवार को मूडला ग्राम पंचायत के कछावन गांव में एक वृद्ध महिला बीमार हो गई, जिसे ग्रामीणों ने उफनते खाल में खाट पर लिटा कर खाल पार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसी ही स्थिति कई गांवों में भी है।

जानकारी अनुसार राजस्थान व एमपी में बारिश होने से पार्वती, रेणुका, अंधेरी आदि नदियों के साथ-साथ खालों में भी पानी की आवक हो जाने से ग्रामीणों के सामने आवागमन के लिए विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। बारिश के दौरान ग्रामीण खतरे से खेलने से भी नहीं चूक रहे हैं। वहीं, बीमारों को खाट पर लिटा कर जान-जोखिम में डाल कर उफनता खाल पार कराना ग्रामीणों की मजबूरी बन गई है। सोमवार को कछावन गांव में खाल की पुलिया नहीं होने से बीमार गुलाब बाई (70) को ग्रामीणों ने उफनते



कछावन गांव में एक वृद्ध महिला के बीमार हो जाने पर ग्रामीणों ने खाट पर लिटाकर उफनते नाले को पार कराया।

खाल में खाट पर लिटा कर खाल को पार कराना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षा के दौरान पार्वती का पानी खाल

में पानी आ जाने से आवागमन पूरी तरह बंद हो जाता है, जिससे स्कूली विद्यार्थियों को पढ़ाई तो प्रभावित होती

है साथ में, मार्ग अवरूद्ध होने से गर्भवती, प्रसव पीड़ितों व रोगियों को खाट पर लेटाकर ही खाल को पार

## नदी, नालों में पानी की भारी आवक होने से कटा संपर्क

करवाकर छबड़ा अस्पताल में ले जाना पड़ता है। यहां तक की उन्हे खाद्य सामग्री लाने में भी परेशानी होती है। गांव के ही गिरांज मीना सहित अन्य ग्रामीणों के अनुसार इस समस्या से जनप्रतिनिधियों व प्रशासन को कई बार अवगत करवा दिया परंतु समाधान नहीं हो पाया है।

वहीं, पुलिया नहीं बनने से बारिश में यह गांव टापू बन जाता है। जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व ही कडैयावन गांव में इसी गांव निवासी बाबूलाल सेन की खाल में बहने से मृत्यु हो गई थी। क्षेत्र में रविवार शाम से सोमवार दोपहर तक झमाझम बारिश का दौर जारी रहा और दो इंच वर्षा दर्ज की गई। क्षेत्र में अब तक 63.4 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है।

# ग्रंथी के बाल काटने पर रामगढ़, नौगांवा व अलावड़ा के बाजार बंद



अलवर के रामगढ़ कस्बे में घटना के विरोध में बाजार बंद रहे।

अलवर, (निसं)। अलवर के रामगढ़ में अलावड़ा रोड पर चार दिन पहले मिलकपुर गांव के पूर्व ग्रंथी के बाल काटने के मामले में आमजन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है।

सोमवार को नौगांवा, रामगढ़ व अलावड़ा सहित आस-पास के बाजार बंद हैं। अभी पुलिस ने आरोपी गिरफ्त में नहीं लिया है। असल में ग्रंथी के बाल काटते समय बदमाशों के हाथ में छुरा था। वे गर्दन काटने की बात भी कर रहे थे लेकिन, ग्रंथी ने बदमाशों से कहा कि वे सीकरी के रहने वाले हैं। उसे क्यों मारना चाहते हैं।

इसके बाद वहां खंडे बदमाशों ने किसी अन्य व्यक्ति से जुम्मा बोलकर बातचीत की थी। बाद में गुपुखा को

## पुलिस के जल्द गिरफ्तारी के आदेशों के बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है

छोड़ा गया। इस घटना से माहौल खराब होने का डर भी था। पुलिस ने जल्दी ही आरोपी को गिरफ्त में लेने का आश्वासन दिया था लेकिन, अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। एक दिन पहले ही समाज के लोगों ने बैठक की थी। इसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने निर्णय किया

था कि ग्रंथी के बाल काटने वाले मुस्लिम समाज के आरोपी निकले तो उनको बिरादरी से बाहर किया जाएगा। पुलिस ने अभी तक मामले का खुलासा नहीं किया है।

असल में आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच सकी है। रामगढ़ के लोगों ने दो बार पंचायत की है। अब बंद के बाद जल्दी आगे की रणनीति बनाई जाएगी। क्षेत्र के बाशिंदे चाहते हैं कि समाजों में माहौल खराब करने वाले से अपराधी हर हाल में गिरफ्तार किए जाएं ताकि भाईचारा नहीं बिगड़े।

जानकारी अनुसार सरदारों के बाल नहीं काटे जाते हैं लेकिन किसी ने ग्रंथी के बाल काट दिये। इस कारण यह बवाल मच गया।

# आबकारी प्रहराधिकारी ने ढाबे मालिक से ली 25 हजार की मासिक बंधी, एसीबी ने दबोचा

मावली, (निसं)। मावली प्रहराधिकारी निरोधक ब्यूरो उदयपुर की टीम ने सोमवार को कस्बे के आबकारी थाने के पदाधिकारी रविंद्र सिंह खींची को मासिक बंधी के 25000 रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं आबकारी में कार्यरत अनुबंधित ड्राइवर भैरू सिंह चुंडावत मौके से फरार हो गया है। आरोपी ड.बा. मालिक जीवन लाल मेनारिया से छूटे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पूर्व में भी जबरन 47800 वसूल चुके हैं और अब मासिक बंधी के 30000 मांग रहे थे। रविंद्र सिंह को रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं भैरू सिंह मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही है।

परिव्रादी ने बताया कि मेनार चौराहे पर राजश्री होटल नाम से ढाबा है। पिछले दिनों आबकारी थाने के प्रहरा अधिकारी रविंद्र सिंह के ड.बा. पर आए और धमकाते हुए कहा कि तवे पर अवैध शराब और अन्य धंधा करता है। छूटा केस बना जेल में डाल दूंगा। यह कहकर



उदयपुर एसीबी की टीम ने आरोपी रविन्द्र सिंह खिंची को गिरफ्तार किया।

रविंद्र सिंह ने ड.बा. के अलमारी में रखे 45800 जबरन ले लिए और धमकी दी के अलावा चलाता है तो मासिक बंधी के 30000 हर माह देने होंगे। परिव्रादी की शिकायत का सत्यापन किया तो रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई। इसमें पदाधिकारी देवेन्द्र सिंह के दलाल ड्राइवर

भैरू सिंह ने 25000 मासिक बंधी की इस एसीबी निरीक्षक हरिेश चंद्र सिंह और सोनू शेखावत के नेतृत्व में मावली आबकारी थाने के आसपास पहुंच गई। रविंद्र सिंह ने परिव्रादी को मासिक बंधी के 25000 लेकर थाने पर ही बुला लिया। प्रहराकारी रविंद्र सिंह के कहने

## छूटे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पूर्व में भी जबरन 47800 वसूल चुके हैं आरोपी

पर ड्राइवर भैरू सिंह ने मासिक बंधी के 25000 परिव्रादी से ले लिए। इसके बाद ड्राइवर भैरू सिंह ने 4000 खुद के पास रखे और 21000 पदाधिकारी के ऑफिस रूम में रखी रविंद्र सिंह की पेंट की जेब में रख दिए। इस दौरान कार्यालय पर एसीबी टीम ने दबिश दी और रविंद्र सिंह को गिरफ्तार कर उसकी पेंट की जेब से 21000 रिश्वत के बरामद किए किंतु ड्राइवर भैरू सिंह मौके से फरार हो गया।

यह कार्रवाई एसीबी निरीक्षक हरिेश चंद्र सिंह और सोनू शेखावत के नेतृत्व में एएसआई गजेंद्र कुमार कांस्टेबल मुनीर मोहम्मद करण सिंह टीका राम सुरेश और मांगीलाल की टीम ने किया।

## तेजाब डालने से आधा दर्जन घायल

सादुलपुर, (निसं)। कहासुनी को लेकर मारपीट के दौरान तेजाब की बोतल से वार करने से करीबन आधा दर्जन लोग तेजाब से जलने से घायल हो गये, जिनमें एक व्यक्ति की हालात खतरे से बाहर है तथा बची हुई तेजाब डालने से गाड़ी जल गई। जिसका राजगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। थानाधिकारी कृष्ण कुमार बलोदा ने बताया कि मोहरसिंह पुत्र बीबल राम जाति जाट उम्र 61 साल निवासी श्योपुर ने एक आरोप का मामला दर्ज करवाया है कि श्रावण मास के चलते

उसकी पुत्रवधू राजकला शनिवार को पुजा करने के लिए वहां गईं थी, तथा उस दौरान उसकी राजपाल के साथ कहासुनी हो गई। उसी रंजिश को लेकर आज सुबह लगभग 8 बजे राजपाल व उसकी पत्नी चमकौर ने उसकी पुत्रवधू के साथ मारपीट कर दांत तोड़ दिये। राजपाल ने जान से मारने की नियत से दिनेश, राजकला, अशोक, कुलदीप व सुनहरी पर तेजाब फैक दी तथा शेष बची तेजाब बोतल को अपनी गाड़ी में फैक दी, जिससे गाड़ी जल गई।

जोधपुर, (कासं)। दिल्ली की ज्वेलरी फर्म द्वारा पेन्डल सेट में लगे स्टोन को भी ग्राहक को सोने के भाव तौल कर बेचने पर उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने उक्त फर्म पर डेढ़ लाख रुपए हर्जाना लगाया है।

मामले के अनुसार चौपासनी हाउसिंग बोर्ड निवासी उर्वेश जैन ने दिल्ली की फर्म पी सी ज्वेलर्स के सरदारपुरा स्थित शोरूम से अक्टूबर 2016 में 21.24 ग्राम सोने का पैडल सेट खरीदा, जिसके

कुल वजन की कीमत उससे सोने के भाव वसूल की गई। यह पैडल सेट टूटने पर उसे पता चला कि इसमें बारीक स्टोन (डिजाइन आकर्षक बनाने में काम आने वाले नग, नगीने) लगाये हुए हैं, जिनका वजन कम नहीं किया जाकर सेट में शामिल कर सोने की दर से ही कीमत वसूल की गई है। इस पर उसने ज्वेलर्स के विध्वंस उपभोक्ता आयोग में परिवार प्रस्तुत किया गया।

निपटरी की ओर से जवाब प्रस्तुत

# पी. सी ज्वेलर्स पर डेढ़ लाख रुपए का हर्जाना लगाया

## दिल्ली की ज्वेलरी फर्म द्वारा पेन्डल सेट में लगे स्टोन ग्राहक को सोने के भाव तौल कर बेचने पर उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने हर्जाना लगाया

कर बताया कि यह ज्वेलरी एक डिजाइनर आइटम है व देखने से ही स्टोन लगे होने जाहिर होते हैं। ग्राहक को भी इस बाबत बता दिया गया था। उनके बिल में अंकित शर्तों के अनुसार आइटम अदला-बदली करने पर स्टोन

सिंह सोलंकी ने अपने निर्णय में कहा कि किसी भी व्यापारी को ज्वेलरी में लगे पत्थरों को सोने के भाव टाहक को बेचने का अधिकार नहीं है। टाहक के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह भविष्य में विक्रेता से ही इस ज्वेलरी की अदला-बदली या रिटर्न करें। अन्य किसी व्यापारी द्वारा स्टोन की कीमत सोने के भाव नहीं दी जानी है।

आयोग ने ग्राहक पर इस प्रकार की शर्तें थोपना अवैध व अनुचित व्यापार-


व्यवहार किया जाना माना तथा स्टोन के निमित्त नाजायज वसूली की गई राशि पांच हजार रुपए की राशि वापस लौटाने के साथ शारीरिक व मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति पचास हजार रुपए हर्जाना परिव्रादी को भुगतान करने का आदेश दिया है।

यह राशि दो माह की अवधि में उपभोक्ता कल्याण कोष राजस्थान में जमा कराने का विपक्षी को आदेश दिया गया है।

# अवैध खनन : चार दिन में 190 प्रकरण दर्ज कर 50 लाख का जुर्माना वसूला

180 वाहन संबंधित थानों में जब्त : एसीएस डॉ. अग्रवाल

जयपुर, (कासं)। अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के विरुद्ध समूचे प्रदेश में कार्यवाही करते हुए पिछले चार दिनों में करीब 190 प्रकरण दर्ज करते हुए 180 वाहन-मशीनों की जब्ती के साथ ही 50 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माईस, पेट्रोलियम एवं जलदाय डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और माईस विभाग द्वारा समन्वय बनाते हुए समूचे प्रदेश में अवैध माइनिंग गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में पिछले चार दिनों में लगभग 60 एफआईआर संबंधित थानों में दर्ज कराई जा चुकी है। उदयपुर में दो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है।



राजसमंद में जेसीबी की सहायता से अवैध खनन किया जा रहा है।

एसीएस माईस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में सर्वाधिक 60 प्रकरण उदयपुर वृत्त में अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर के निदेशन में दर्ज किए गए हैं। जयपुर में 53 प्रकरण दर्ज हुए हैं। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त निदेशक नरेन्द्र कोट्यारी मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

महेश माथुर ने बताया कि उदयपुर वृत्त के 60 प्रकरणों में से एफआईआर द्वारा 18 प्रकरण दर्ज कर 9 एफआईआर

अतिरिक्त निदेशक बीएस सोडा के निदेशन में जयपुर वृत्त जयपुर एएसआई प्रताप मीणा व अजमेर एएसआई जय गुरुबखसानी के नेतृत्व में कार्यवाही की जा रही है। अतिरिक्त निदेशक जयपुर बीएस सोडा के क्षेत्र में अजमेर, नागौर व पाली में जय गुरुबखसानी व जयपुर, अलवर, सीकर, झुन्झुन, टोंक और दौसा में एएसआई प्रताप मीणा द्वारा की गई कार्यवाही में 53 प्रकरण दर्ज कर

62 वाहन मशीनों आदि की जब्ती की गई है। इसके साथ ही 20 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूला जा चुका है। अतिरिक्त निदेशक कोटा महावीर मीणा के निदेशन में एएसआई कोटा अविनाश कुलदीप व भरतपुर एएसआई के नेतृत्व में कोटा, बूंदी, झुनझुनवाड, बारां, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सर्वाइ माधोपुर में 30 प्रकरण दर्ज करने के साथ ही 31 वाहन मशीनों जब्त की

## चार दिनों में 60 एफआईआर दर्ज, उदयपुर में दो गिरफ्तार

गई है। वृत्त में 15 लाख से अधिक का जुर्माना भी वसूला गया है।

जोधपुर में एएसआई धर्मेन्द्र लुहार व टीम द्वारा 30 प्रकरणों में 3 एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही 25 वाहन मशीनों जब्त की गई है। जोधपुर में जोधपुर, पाली, सिराही, बाडमेर, जालौर में कार्यवाही की गई।

बीकानेर वृत्त में एएसआई भीम सिंह के नेतृत्व में एएसआई आरएस बलारा व अन्य अधिकारियों की टीम ने बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चुरु में 16 प्रकरण दर्ज किए हैं। 11 वाहनों की जब्ती के साथ ही 8 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। निदेशक माईस कुंज बिहारी पाण्ड्या द्वारा समूची कार्यवाही पर नजर रखते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।

# चंबल नदी खतरे के निशान से 2.69 मीटर दूर



धौलपुर के पास से चम्बल नदी का लिया गया विहंगम दृश्य।

धौलपुर (निस)। हाइड्रो अंचल सहित अन्य जगह हो रही बारिश और कोटा बैराज से छोड़े जा रहे पानी की आवक से धौलपुर में चम्बल नदी का जलस्तर धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। सिंचाई विभाग धौलपुर के पोपेन्द्र मीणा ने बताया कि सोमवार शाम को 6 बजे धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर 128.10 दर्ज किया गया जो

कि खतरे के निशान से 2.69 मीटर कम है। हालांकि आमजन को अभी किसी भी तरह से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है।

आपको बता दे कि धौलपुर जिले में चम्बल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है, वहीं ऐतिहासिक प्रशासन के आला अधिकारी और

पटवारी चम्बल नदी के बड़ ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही निचले स्थानों पर टामापीनों को एलर्ट भी कर दिया है। वहीं नदी हुई पानी की की आवक के बाद चम्बल पर बने पुराने पुल पर जरूर लोगों की आवाजाही शुरू हो गयी है। सेल्फी पॉइंट के नाम से चर्चित इस पुल पर लोगों के आवागमन से खतरा बना हुआ है।

## पड़ोसियों ने परिवार को बेदखल किया

जालौर, (कासं)। जालौर जिले के बागोडा क्षेत्र के खोखा गांव में पिछले 60 वर्ष से निवास कर रहे परिवार को पड़ोसियों ने मिलकर मारपीट कर घर से बेदखल कर दिया। बागोडा उपखंड में प्रशासन की अनदेखी के चलते पीड़ित परिवार खुले आसमान में रात गुजारने को मजबूर है। इस पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार के लिए बागोडा पुलिस थाना में मामला भी दर्ज करवाया है। तहसील कार्यालय में जमीन विवाद की दलील भी पेश की है।

आम सूचना  
सर्वप्रथम को सूचित किया जाता है कि जूही सदनकावत पति अकाश कुमार मिश्रा की 124, वार्ड नम्बर 02, पालपुर की, कांसा, विधान सभा क्षेत्र द्वारा अपने पतिव्रत की मंगली विद्या अग्र, पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की मंगली विद्या अग्र 9, 10 व 11 में स्वामित्वित हुए हाउसिंग स्ट्रक्चर के कन्स्ट री-2 (सी) में निर्मित 'गुरुदेवराज 14' की वार्ड नम्बर 02, पालपुर, जिला नम्बर 48022 निर्मित है जो विवाद किये जाने का कारण भी अविधान मंगली विद्या अग्र 9 व 10 व 11, मिश्रा की पत्नी-सोमेश, श्याम कानकराम उर्फ श्यामी की